न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 16 / 2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
मदन सिंह पुत्र कुशल सिंह जाति सोढ़ा राजपूत निवासी सुवाला, शिव जिला बाड़मेर (राजस्थान)
(मैसर्स माजीसा स्वीट होम, गडरारोड़ बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश गोयल अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 10.08.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मधुर स्वीट, राजकीय महाविधालय केन्टीन परिसर बाड़मेर जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **01.11.2020** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **खोया (फीका मावा)** जो कि फ्रीज मे करीब 10 कि0ग्रा0 रखा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 कि0ग्रा0 खोया (फीका मावा)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1227** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **खोया (फीका मावा)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 10.11.2020 में उक्त खाद्य पदार्थ **खोया (फीका मावा)** का नमूना को अवमानक **(Sub-standard)** बताया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2. अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रस्तुत कर स्वंय को उक्त फर्म का मालिकाना नहीं होने तथा प्रार्थी की ओर से की गई कार्यवाही अवैद्य होना प्रकट किया। इस पर प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 10.11.2020 मे उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब में अप्रार्थी को फर्म का मालिक नहीं होना प्रकट किया है जबकि प्रार्थी द्वारा किये गये निरीक्षण के वक्त मौके पर उपस्थित रहा व खाद्य पदार्थ का नमूना प्रार्थी का विक्रय किया गया है। ऐसे में अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान में आमजन को विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ की गुणवता एवं मानकता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 25,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश विश्नाई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:56:33 IST
Reason: SelfAttested